way the new rules are going to solve the problems of testing being faced by *the* people in the villages and other towns who need blood in case of an emergency.

I will now come back to the testing laboratories. The capacity of a laboratory is absolutely inadequate compared to the requirements of the area. We have made the facilities available for testing which are known as Elisa tests. But these tests are not. foolproof or correct tests. Many times, these tests give different results. If somebody is found HIV-positive at the first test, a second sample must be taken for further investigation. Unfortunately, this practice is not being adopted.

Therefore, through you, Madam. I request the hon. Health Minister to make a statement on this issue and to assure the House that he will withdraw the circular, which is a dangerous one because if it is not informed to the person who is found HIV-positive, he may create problems for others.

Thank you, Madam.

GOVERNMENT MOTION

On the twentyMeighth and tweniy-ninth reports of the former Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the Fifth, Sixth, Seventh and Eighth reports of the National Commission for Scheduled Castes, and Scheduled Tribes (Cont'd)

THE DEPUTY CHAIRMAN: We will now continue the discussion on the SC/ ST Reports.

मीणा जी, अब आप अपने भाषण को कनक्लूड कर दीजिये तो मैं मंत्री जी से कहूं कि वह जवाब दें Every body is awaiting Ministers' reply. तो जो लोग हैं नहीं, उनको आप छोड़िए। मेरे कहने का मकसद यह था कि इस पर आप बोलें, और भी लोग बोलें, कटारिया जी कुछ बोलना चाहें तो बोलें मगर सवाल यह है कि मंत्री जी जो बोलेंगे, वह ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप सब लोग तो एक ही बात कहेंगे ।

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान) : मैडम, यह शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स का सौभाग्य है कि इतना टाइम मिला है।

उपसभापति । इसीलिए मंत्री जी क्या आपके सवालों का जवाब दें और क्या प्रोपोजल्स दें, मुझे लगता है कि वह जरूरी है इसलिए आप संक्षेप में अपना भाषण कनक्लूड कीजिए ।

श्री मूलचन्द मीणा : मैडम, कल मैं यह कह रहा था कि शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भावनाओं के अनुसार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अन्दर व्यवस्था की है । नेहरू जी ने जो अर्थव्यवस्था की, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाया और अर्थव्यवस्था को मिक्स किया जिससे गरीब तब्के के लोगों को उसका लाभ मिल सके । मैं कह रहा था कि इंदिरा जी ने शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम दिया। इसके माध्यम से दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभ मिल सका और उनका विकास हो सका । इस 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से शैड्यूल्ड कास्ट्स शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जमीनें भी मिलीं, बजर भूमि का अलॉटमेंट भी शैडयूल्ड कास्टस और शैडयूल्ड ट्राइब्स के नाम हुआ । साथ ही इंदिरा जी ने गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले वर्गों के लिए भी बकों का राष्ट्रीयकरण किया जिससे इन वर्गों के लोगों को बैंकों से ऋण लेने में सुविधाएं मिलीं । हम यह कह सकते है कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राजीव गांधी जी ने शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स के कार्यक्रमों को सख्ती के साथ लागू किया । आज की जो सरकार है, उसने जो कार्यक्रम दिये हैं शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स के लिए, इनको हम नकार नहीं सकते । कहने के लिए यह कहा जाता है कि शैड्यूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स के लिए कुछ किया नहीं

है। मैं यह कहता हूं कि शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जितना करना चाहिए था उतना नहीं हुआ है । फिर भी कुछ किया है कांग्रेस की सरकार ने । ऐसा नहीं है कि हम यह कह सकें कि सरकार ने कुछ किया नहीं । जो भी कार्यक्रम या कानून इस देश के अंदर शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के हित के लिए बनाते रहे उनका इप्लीमेंटेशन सही प्रकार से नहीं हो पाया । इसलिए उन के विकास की जो गति थी वह धीमी रही ।

महोदया, इस प्रतिवेदन के बारे में मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आरक्षण का जहां तक सवाल है, संविधान के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था की गई है । लेकिन 47 साल गुजरने के बाद भी इस आरक्षण का लाभ यदि हम देखें तो वह 4 प्रतिशत बैठता है जो कि नगण्य है । उसको पूरा किया ही नहीं गया । आरक्षण की स्थिति हम देखें तो सरकारी जो विभाग हैं उन में यह स्थिति है। पब्लिक सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था है ही नहीं । इसलिए मैं चाहता हूं कि पब्लिक सेक्टर में भी आरक्षण की व्यवस्था हो । इसके साथ ही जो भी हमारे गैर सरकारी उद्योग हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, उन के अंदर भी शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो ।

महोदय, राज्य सभा और विधान परिषदें ऐसे सदन हैं लेकिन जब लोक सभा और विधान सभाओं के अंदर आरक्षण है तो इन दोनों सदनों के अंदर भी आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए ? महिलाओं का भी आरक्षण हो, उसमें कोई ऐतराज नहीं है । लेकिन मैं शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के बारे में बोल रहा हूं । आरक्षण के प्रश्न को पूरा करने के लिए समय-बद्ध कार्यक्रम देना चाहिए जिस से कि जो बैक लॉग हैं वह पूरा हो सके और इस कार्यक्रम में यदि कोई भी अधिकारी, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, रोड़े अटकाता है, वह आरक्षण के बैक लॉग को पूरा नहीं करता है तो उस के खिलाफ सख्त कार्यवही होनी चाहिए ।

महोदया, आज आरक्षण के साथ साथ यह समस्या पैदा हो गई है कि जो आरक्षण थोड़ा बहुत मिला हुआ है पहले पदोन्नति के अंदर वह लागू था । लेकिन पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कई विभागों ने चाहे वह निर्णय शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों पर लागू नहीं होता था, लेकिन फिर भी केन्द्र के कई विभागों में आरक्षण के इस पदोन्नति के कार्यक्रम को लागू कर दिया । इस आरक्षण के बारे में सदन में समाज कल्याण मंत्री जी ने भी अवगत कराया लेकिन दुर्भाग्य है कि शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों के लिए भी इसे लागू किया जा रहा है और उनकी पदोन्नति पर रोक लगाई जा रही है । जब हमारे मंत्री जी सरकार में बैठे हुए हैं तो तमाम विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों को क्यों नहीं इस प्रकार की शिकायत ले कर उनके खिलाफ कार्यवाही करते जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जो कि पिछड़े वर्गों के लिए लागू हो सकता है, शैड्यूल्ड कास्ट का उस में नाम नहीं है, उन पर लागू कराने से रोकते । सरकार में बैठे हुए शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए कानून बना रहे हैं तो उस कानून का क्या फायदा अगर उन को उस का लाभ नहीं मिलता । कोरे कागज के अंदर लिख गए कानूनों से उन को कोई फायदा होने वाला नहीं है जो सरकार के आंकड़ों से सिद्ध है । आज जब हम देखते हैं डाक्टरों की स्थिति एस सी, एस टी के लोगों में से कितने डाक्टर बने हैं, कितने लोग वैज्ञानिक बने हैं, कितने लोग हवाई जहाज उड़ाने वाले पायलट बने हैं तो एक-दो ही हमें मिलेंगे । अफसोस है कि 47 साल की आजादी के बाद भी हमारे पास जब कि कानून भी रहे, सरकार भी हमारी रही फिर भी हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाये । जो लोग इस काम को देखते हैं यदि हम उनसे सख्ती से काम लेते तो यह आरक्षण पूरा हो सकता था । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस आरक्षण के नाम पर सामान्य वर्ग के कुछ लोगों ने एस० सी०/एस० टी० का फर्जी सर्टीफिकेट प्राप्त कर लिया है, इस प्रकार की शिकायतें आपके

आयोग को और आपके विभाग को मिलती रही हैं. . . (समय की घंटी) अभी तो मैंने शुरू किया है ।

उपसभापति : There are other members also. आप कुछ मिनट पहले बोल चुके हैं और अभी बोल लिया तो इस तरह से दस मिनट हो गये हैं । आप जरा दूसरों को भी बोलने दीजिए ।

श्री मूलचन्द मीणा : मैं यह कह रहा था कि सामान्य वर्ग के जिन लोगों ने फर्जी सर्टीफिकेट एस0सी0, एस0टी0 का प्राप्त कर लिया है और उसके जरिये नौकरी प्राप्त कर ली है उनके खिलाफ आजतक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसका क्या कारण है? मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पिछले आयोग की रिपोर्ट को 30 साल के करीब हो गये और उस रिपोर्ट के अंदर एक विशेष आयोग के गठन की बात थी एस0टी0 के लिए । लेकिन अभी तक उस आयोग का गठन नहीं किया गया । 1991 के अंदर एस सी, एस टी के आयोग का गठन हुआ । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि एस सी, एस टी की समस्याएं अलग-अलग हैं । इसलिए यह आयोग जो आपने गठित किया है अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत इससे एस0टी0 की समस्याएं सोल्व नहीं होती । इसलिए धारा 339 के अन्तर्गत एक विशेष आयोग एस0टी0 के लिए, आदिवासियों के लिए गठित किया जाए जिससे उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके । कानून में इतनी विसंगतियां है कि एस०टी० को उनको ग्रहण करने में कठिनाई महसूस होती है । आप इस संबंध में जानकारी हासिल करें कि इनके कानून क्या हैं और सरकार के कानून क्या हैं । उन सब को मिलाकर एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे उनको सुविधा हो, उनकी समस्याएं सुलझ सकें ।

[उपसभाध्यक्ष (सैयद सिब्ते रज़ी) पीठासीन हुए]

मैं अपने प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मैला उठाने की प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाया । जब विकास की बात आती है तो मैं कहना चाहता हूं कि जब तक हम एस0टी0 की बस्तियों के अंदर आवागमन की व्यवस्था नहीं करेंगे, आवागमन के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की सुविधाएं नहीं होंगी तब तक वह एक दूसरे से सम्पर्क नहीं कर पायेंगे, कोई काम नहीं कर पायेंगे । छुआछूत की भावना से इतने भयभीत हैं एस0सी0, एस0टी0 के लोग कि आज भी उनको सरकार के द्वारा इतना संरक्षण मिलने के बावजूद भी अत्याचारों को सहन करना पड़ रहा है । आज भी हमारे राजस्थान के किसी भी गांव में चले जाइये कि आप देखेंगे उनको साइकिल पर निकलने नहीं दिया जाता । हम बात कर रहे है समानता की, हम बात कर रहे हैं सामाजिक परिवर्तन की, हम बात कर रहे हैं आर्थिक परिवर्तन की लेकिन जब तक आर्थिक परिवर्तन ही शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का नहीं होगा, सामाजिक परिवर्तन इनका नहीं होगा, तब तक कभी भी देश का विकास और देश की प्रगति नहीं हो सकती पिछले साल राजस्थान के अंदर वहां भरतपुर में एक कस्बा कुंबेर है। वहां पर सवर्ण लोगों ने शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की बस्तियों पर हमला किया और उनके घरों को जला दिया, लोगों का कत्लेआम किया । जांच करने वाले लोगों ने जांच की लेकिन आज तक एक को भी दोषी नहीं ठहराया गया । जब तक शैड्यूल्ड कास्ट का कोई अधिकारी जिले के अंदर, डी०एम० या आई०पी०एस० जो पुलिस सुपरिटेंडेंट होता है, इनमें से एक नहीं होगा, तब तक ऐसा ही होता रहेगा । तो सरकार को यह नीति बनानी चाहिये कि जिले के अंदर डी०एम० या पुलिस सुपरिटेंडेंट में से एक आदमी शैड्यूल्ड कास्ट या शैड्यूल्ड ट्राइब्स का हो। अगर आप ऐसा करेंगे तभी उन लोगों को संरक्षण मिल सकता है, उनको छुआछूत की भावना से, भेद-भाव की भावना से छुटकारा मिल सकता है । मैं शहरों की बात नहीं कर रहा हूं, गांवों के अंदर आज भी [illegible] है । इसलिये

कानून में सख्ती लानी होगी । उन पर अत्याचार होते हैं । यह प्रायः अखबारों में देखने को मिलता है कि किस तरह बलात्कार की घटनायें शैड्यूल्ड कास्ट की महिलाओं के साथ होती हैं । आग में अगर किसी को जलाया जाता है तो वह शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों को जलाया जाता है । जमीन पर कब्जा किसको नहीं मिलता, शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों को नहीं मिलता । इंदिरा गांधी जी जमीन देने वाली थी लेकिन उस पर कब्जा तो दिलाइये मंत्री जी ।

शैड्यूल्ड कास्ट के नाम पर विद्युतीकरण होता है । लेकिन शैड्यूल्ड कास्ट बस्ती में बिजली जाती ही नहीं और सवर्ण वर्ग के लोगों को बिजली मिल जाती है । इसकी आप पूर्णरूपेण जांच कराइये कि शैड्यूल्ड कास्ट के नाम पर फंड विद्युतीकरण के लिये जारी किया और शैड्यूल्ड कास्ट की बस्ती में कितनी बिजली लग पायी, कितनी नहीं लग पायी । जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो पाते हैं कि शैड्यूल्ड कास्ट के लोग बिजली की मांग करते हैं, उनके नाम पर पूरे गांव में बिजली लग जाती है और शैड्यूल्ड कास्ट बस्ती अलग बिना बिजली के रह जाती है ।

इन लोगों के लिये औषधालय, अस्पताल और चिकित्सालय हमने खोले हुए हैं । पर इन औषधालयों और चिकित्सालयों की स्थिति यह है कि डाक्टर इन एरियाज में जाते ही नहीं । जब तक हम शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को डाक्टर नहीं बनायेंगे तब तक यह समस्या रहेगी क्योंकि इन एरियाज में शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के डाक्टर ही रह सकते हैं, दूसरे डाक्टर नहीं रह सकते। वह यहां रहना ही नहीं चाहते । इसलिये उनको इस बारे में विशेष सुविधा देने के संबंध में आपको कानून में संशोधन करने होंगे और सरलता बरतते हुए शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को डाक्टर बनाना होगा जिससे इन लोगो को अपनी बस्ती के अंदर चिकित्सा सुविधा मिल सके । लेकिन मंत्री जी आज स्थिति क्या है ? मैं इस बात को नहीं नकारता कि आपने चिकित्सालय नहीं खोले, अस्पताल नहीं खोले, लेकिन आपने वहां पर डाक्टरों की उचित व्यवस्था नहीं की है । जो डाक्टर आपने वहां नियुक्त किये हैं वे वहां ठहरते ही नहीं हैं । अगर भूलभेड़े से कुछ डाक्टर रह भी जाते हैं कि उन अस्पतालों में, चिकित्सालयों में दवाइयां ही नहीं मिलती, इस कारण वहां कोई इलाज नहीं होता तथा आदिवासी भयंकर बीमारियों से अपने घर में मौत के शिकार हो जाते हैं ।

शिक्षा के बारे में मैं कल कह चुका था । लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की महिलाओं की शिक्षा की बहुत ही दयनीय स्थिति है । शिक्षा में उनका प्रतिशत नहीं के बराबर है । प्राथमिकता के आधार पर शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की महिलाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था कराई जाए । उनको वजीफा देते हुए प्रशिक्षण दिया जाए और शिक्षित किया जाए जिससे शिक्षित होने के बाद वह सोचने समझने लगे और विकास के लिए जो कुछ करना है, वह कर सके । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आदिवासी एरियाज में विकास करना है। उनके पास जो थोड़ी बहुत जमीन है वह पानी नहीं होने के कारण सही प्रकार से खेती नहीं कर पाते हैं । जो भी बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं जिनको भूमि पुत्र कहा जाता था उनकी भूमि छीन कर के, आदिवासी जिस जमीन पर अपना पालन-पोषण करते थे, जिस जमीन से सब कुछ जीविकोपार्जन करते थे, वह बांध आदिवासी एरियाज के अन्दर बनाए गए हैं लेकिन उसका लाभ आदिवासियों को न मिल कर के दूरदराज में रहने वाले लोगों को मिल रहा है । इसलिए मैं चाहता हूं कि सिंचाई के लिए छोटे-छोटे बांध बनाए जाएं । बड़े-बड़े बांध बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है । छोटे-छोटे बांध इन एरियाज के अन्दर बनाए जाए तभी इन शैड्यूल्ड कास्ट्स और शड्यूल्ड ट्राइब्स का आर्थिक विकास होगा । यदि शैड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का आर्थिक विकास नहीं होगा तो इस देश से

तो छूतछात मिट सकती है और न इस देश के लोग समानता के आधार पर सरकारी नौकरियों में आ सकते हैं । हमें उनको भी सम्पन्न बनाना है । छूतछात का भेदभाव मिटाना है तो उनको आर्थिक रूप से मजबूत करना पड़ेगा । सरकार शैड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के विकास के लिए इतने फंड देती है, स्पेशल योजनाएं देती है । इन्दिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था । आप सोश्यो इकोनोमिक सर्वे करवा लीजिये, यदि आपने कराया है तो उसकी रिपोर्ट क्या है, आंकड़े क्या हैं ? यदि आपने सर्वे नहीं कराया है तो सोश्यो इकोनोमिक सर्वे करा लीजिये कि गरीबी की रेखा के नीचे कितने लोग गरीबी की रेखा के ऊपर आए हैं और अभी कितने गरीबी की रेखा के नीचे दबे हुए हैं ? आपको पता चल जाएगा कि जितने कार्यक्रम और जितने पैसे आपने अब तक दिये हैं, उनका सदुपयोग हुआ है या नहीं हुआ है । इस बात का प्रमाण आपको मिल जाएगा । जितनी भी योजनाएं हम शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए दे रहे हैं, उनका कोई लाभ इन लोगों को नहीं मिल रहा है । आपने अपने वक्तव्य के अन्दर बताया था। मैं कुछ टिप्पणियां नहीं करना चाहता था, आयोग दिया है, लेकिन आपका कमिशन जो कार्य कर रहा है (समय की घंटी) मुझे बड़ा अफसोस है कि इस कमिशन में 10–15–20 शिकायतें मैंने कराई होंगी । एक रुटीन बनाया हुआ है कि हमने विभाग को भेज दिया है, आपका पत्र मिला है । यह आपके कमीशन के निर्णय हैं । आपने बताया कि 26000 केसेज आए थे और 1600 केसेज बकाया है, बाकी सारे केस फाइनल कर दिये हैं । आप देखिये कमिशन ने क्या फाइनल किया है ? एक केस भी फाइनल नहीं हुआ है ? केवल विभाग को लिख दिया, यह डिसिजन हुआ है कमिशन का । आप कमिशन का पुनर्गठन करिये । अच्छे-अच्छ लोगों को कमीशन में बठाइय जो काम कर सकें । निकम्मे लोगों को निकालिय । आपका कमिशन काम ही नहीं कर रहा है तो शैड्यूल्ड कास्ट और शड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की बात कौन सुनेगा ? जिस कमीशन को आपने कानूनी अधिकार दिया है, उस कानूनी अधिकार का प्रयोग नहीं हुआ है ? किस ने कानूनी अधिकार का प्रयोग किया है, कितने केसेज में कानूनी अधिकार जो आपने दिया है, उसका प्रयोग हुआ है ? आप यह सारी बातें बताइये । इस देश के अंदर औद्योगिकरण होता जा रहा है । इस देश के अंदर लघु उद्योगों की व्यवस्थाएं की गयी हैं । आदिवासी, शैड्यूल्ड ट्राइब्स और शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को कितने लघु उद्योग लगवाये गये और इनके नाम से कितने उद्योग सामान्य वर्गों के लोग चला रहे हैं . . . (समय की घंटी) बस खत्म कर रहा हूं ।

1.00 P.M..

यह भी बतायें कि लघु उद्योगों के लिए शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स को अब तक कितना ऋण दिया गया होगा । कितने उद्योग अभी बरकरार हैं; चल रहे हैं ? आप शैड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए विशेष सब्सिडी देते हैं । आपने कानून तो बना दिए लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ऐसे उद्योगों के बारे में कोई प्रशिक्षण नहीं है, उनको जानकारी नहीं है कि वे क्या उद्योग लगा सकते हैं । उन्हें निशुल्क प्रशिक्षण दीजिए, उद्योगों का ज्ञान कराइये । कौन-कौन से आइटम्स किस-किस एरिया में आ सकते हैं इस प्रकार का ज्ञान उनको होगा तो निश्चित रूप से उद्योग लगाएंगे । लेकिन उनको ऋण देने में जो दिक्कतें आती हैं उनको सरल बनाइए ।

साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि गत वर्ष हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्म शती मनायी थी । उसमें कई कार्यक्रम हमने दिए, कई घोषणाएं हमने कीं, कई सुविधाएं सरकार ने देने की बात कही । आप इनका सर्वे कराइए, जांच कराइए कि उन पर क्या कार्यवाहियां अब तक हुई हैं, उनके क्या परिणाम रहे हैं।

साथ ही, कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहूंगा कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का विकास कांग्रेस के नेताओं

के हृदय के दर्द के कारण हुआ है। कांग्रेस ही एक ऐसी संस्था है जो इनके विकास की बात करती हैं। इम्पलीमेंट होने का जहां तक सवाल है तो एक विशेष कानून लाकर जो कार्यक्रम दिए जा रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट कराइए।

14 रिपोर्टें जो अब तक आई हैं उनमें से आपने 5-6-7-8 का यहां पर विवरण प्रस्तुत किया है। मैं यह चाहता हूं कि आप अब तक की सारी रिपोर्टें और जो भी कार्यक्रम हमने दिए जो भी समस्याएं हैं और उन समस्याओं के निराकरण के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं यह रिपोर्ट अगले सदन के सत्र में पेश करें जिससे लोगों को यह पता लग सके कि अब तक शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का इतना विकास हो पाया है।

मैं इन बातों के साथ मंत्री जी को यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऋण देने के लिए हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था। आज उन बैंकों के अंदर स्थिति यह है कि इन शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को लोन ही नहीं दिया जाता है। लोन दिया भी जाता है तो भ्रष्टाचार इतना फैला है कि जितना उसको फायदा होने वाला है उससे ज्यादा नुकसान उसको उठाना पड़ता है जबकि इंदिराजी का उद्देश्य था कि इस देश के शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को गरीबी से ऊपर उठाना है। ये ऊपर तभी हो सकेंगे जब बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जाएगा और बैंक उनको ऋण देंगे। लेकिन बैंकों की कार्यप्रणाली इस प्रकार की है कि इन लोगों को ऋण देने में कई कठिनाइयां पैदा की जाती हैं। मैं यह चाहता हूं कि आप फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी लिखें कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के किसी भी प्रतिनिधि से यदि ऋण के मामले में बैंक का कोई कर्मचारी या अधिकारी भ्रष्टाचार की बात करे ...तो उसके खिलाफ कार्यवाही करें। साथ ही आपने रिपोर्ट प्रस्तुत की आयोग के बारे में सरकार ने जो कुछ किया उसके लिए तो मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा और जो समस्यायें रह गई हैं, कई दिक्क सामने हैं, उनको पूरा करने के लिए नए तरीके से नया कानून बनाकर उनको पूरा किया जाए। उदाहरण के तौर पर, मंत्री जी मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (सैयद सिब्ते रज़ी) : कृपया समाप्त करें, कई स्पीकर और हैं।

श्री मूलचन्द मीणा : सर, एक मिनट, रेलवे के अन्दर कर्मचारियों की कैटेगरी "सी" होती है। 1991 के अदर 45 कर्मचारी शैड्यूल्ड ट्राइब्स के भरे जाने थे। वेकेंसीज निकली, विज्ञापन हुए, 1991 में परीक्षा भी हुई। अब 1994 है, आज तक न रिजल्ट आया है और न किसी कर्मचारी को लगाया है। बल्कि रेलवे विभाग में... **(व्यवधान)** भर्ती की जा रही है। बड़े अफसोस की बात है। इस प्रकार के जब सरकार में, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस जो शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्ज की हितैषी है, उसकी सरकार होते हुए भी इस प्रकार का अन्याय, इस प्रकार की दुर्भावनाएं कई विभागों के अंदर विज्ञापन जारी कर दिए जाते हैं, इन्टरव्यू होते ही नहीं हैं। इसलिए आपको एक नया कानून लाना पड़ेगा सख्ती के रूप में और नया कानून लाए हैं और इस आयोग को अधिकार के रूप में यह आयोग कार्य करे तो मैं यह मानता हूं कि शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्ज का निश्चित विकास होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण (पंजाब): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बहुत ही। अहम मसले पर बोलने का मौका दिया है इस बात की भी खुशी है कि एस. सी. और एस. टी. की रिपोर्ट पर बड़े खुलकर विचार हो रहा है और बहुत सारे दोस्त बड़ी डिटेल में दो-तीन रोज से बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं महात्मा गांधी जिसने,

अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे
एक नूर से सबजग उपजिया, कौन भले कौन मंदे

एक पिता एक के हम बारक, इन गुरुओं का आदेश ले कर, महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस को एक जन्म दिया, कांग्रेस में एक नई फूंक भरी कि जो समाज के पिछड़े और लताड़े हुए लोग हैं, इनकी हमें सेवा करनी है। आज हम श्री राव साहब का और श्री बेअंत सिंह जी का शुक्रिया अदा किए बगैर रह नहीं सकते कि हमारे पहली दफा पंजाब के दो एस.सी. और एस.टी. कास्ट के लोग इस पवित्र स्थान में बैठे हुए उन लोगों की नुमायंदगी के लिए अपने कुछ विचार उनकी मुश्किलात, उनके दुखों की कुछ दवाई आपके सामने रख रहे हैं। मेरे से पहले, यह मैं कहना चाहता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट का जो मसला है बहुत से कमीशन बने हैं, बहुत सी और कमेटियां बनी हैं, लेकिन आधी सदी हो गई है, आधी सदी के बाद भी जो नए-नए प्रोग्राम दिए हैं वह केवल कांग्रेस सरकार ने दिए हैं। जब भी दूसरी सरकारें इस देश में आई हैं लोगों को सरकार से इन लोगों की डिवलपमेंट से इन लोगों को छूतछात बनाने में उन्होंने अपना काम किया है। हम उस कीचड़ से निकले हैं जहां कि हमें इंसान भी नहीं समझा जाता था। एक वह इंसान जोकि देश के पवित्र पैगम्बर और गुरुओं की धरती में पैदा हुआ हो एक इंसान आकाश में उधारी लगाता हो, मंदिरों व मस्जिदों में जाता हो, सरकार में बैठकर अपने हक में कानून बनाता हो, जमीन का काश्तकार हो, एअरकंडीशंड बंगलों में बैठाकर बात करते हो, लेकिन उपसभापति महोदया, ऐसे इंसान भी हैं जिन्होंने कि देश के निर्माण के लिए काम किया है, देश के लिए आजादी लाई है, शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान और चायना की लड़ाई में सबसे ज्यादा कुर्बानी एस.सी./एस.टी. के लोगों ने दी है और देश के डवलपमेंट के लिए बहुत योगदान दिया, लेकिन महोदया आजादी से पहले हमारा कोई वोट नहीं था, छुआ-छूत इतनी थी कि आदमी का साया देखकर लोग पलीत हो जाते थे फिर हमें वोट डालने या सरकार बनाने का तो काम ही क्या था? हमें गुरुद्वारों और मंदिरों में जाने की तो बात ही क्या, हमें सरकार की कुर्सी देखने की तो बात ही क्या हमें चौकीदार भी नहीं रखा जाता था। महोदया, आज हम उस महात्मा गांधी को नहीं भूल सकते, हम उस नेहरू खानदान को नहीं भूल सकते जिन्होंने कि हमें इस पवित्र जगह पर खड़ा किया, लेकिन दुख और अफसोस की बात यह है कि आज 46 साल गुजर गए हैं, इनके लिए जो नई स्कीम बनाई जाती हैं उन स्कीम पर अमल नहीं होता है।

महोदया, हमारे लिए पोस्ट्स का रिजर्वेशन किया गया है। लोकसभा में भी किया गया है और एसेंबलियों में भी रिजर्वेशन किया गया है। तो जब रिजर्वेशन हो गया, है विधान के अंदर यह है कि इनको रिजर्वेशन देना है, तो मैं कहना चाहता हूं मिनिस्टर साहब से कि जो रिजर्व पोस्ट होती है तो वह शेड्यूल्ड कास्ट को जानी चाहिए। अगर शेड्यूल्ड कास्ट उस दफ्तर में नहीं है तो वह डि रिजर्व की जाए, लेकिन जब शेड्यूल्ड कास्ट वहां बैठा है तो उसे वह पोस्ट क्यों नहीं दी जाती है? इसी तरह कुछ प्रमोशंस में भी बात होती है। जो हमारी बहुत से अफसर हैं, जब वह प्रमोशन के नजदीक आते हैं तो एक-दो अर्जी सज्जे-खब्बे से लेकर उसके फिलाफ दी जाती है। उस पर केस चलाया जाता है। उसके बाद होता क्या है कि उसका प्रमोशन रोक दिया जाता है और नेक्स्ट आदमी जोकि नान-शैड्यूल्ड कास्ट से होता है उसको प्रमोशन दे दिया जाता है। मिनिस्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप रेल-

गाड़ी में चलते हैं तो ग्राप टिकिट रिजर्व करा लेते हैं और कहते हैं कि यह सीट हमारे लिए रिजर्व हो गयी है। तो उस सीट पर दूसरा आदमी कैसे आ जाएगा ? हमारा कांस्टीट्यूशन जोकि बहुत ही अच्छे दानिशवरों और सूझबान लोगों ने लिखा है और डा0 बी. आर. अम्बेडकर को इस कांस्टीट्यूशन का मोडी बनाया था, उनको पता था कि इन गरीब लोगों की क्या-क्या मुश्किलात हैं। इसलिए उन मुश्किलात को हल करने के लिए उन्होंने संविधान में जिक्र किया है। तो जब ये पोस्ट्स हमारे लिए रिजर्व हो गई हैं तो उन्हें डि-रिजर्व कर के दूसरों को नहीं दी जानी चाहिए। इससे हमारे मुलाजिमन में बहुत डर, भय और मायूसी है और वे निराशा से भरे हैं। यह इस किस्म की बात होती है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। कि हम आगे बढ़ नहीं सकते। हमें दया तो है दे तो दिया है लेकिन उसका अमल नहीं होता। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे बहुत सारी मुलाजिमात मायूस होकर दूसरी तरफ चली जाती हैं।

वाइस चेयरमैन साहब, बहुत से डाक्टर बहुत से इंजीनियर, बहुत से बी.ए.बी.एड. बहुत से हमारे भाई बहन हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, लेकिन उनको अब तक एम्प्लायमेंट नहीं मिला। देश में बहुत सारी अनएम्प्लायमेंट हैं, मैं अगर गिनती आपके सामने रखूं तो कलेजा बाहर को आता है। अब एक आदमी ट्रेनिंग ले लेता है, डाक्टर बन जाता है, बी.ए. बी.एड. हो जाता है, उसको दो, चार, पांच साल नौकरी नहीं मिलती और फिर वह ओवर एज हो जाता हैं, बिना नौकरी का रह जाता है। अगर पढ़ा लिखा ऐसे रह जाएगा तो वह तो अनपढ़ से पीछे चला जाएगा। इसलिए मेरी माननीय मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त है कि आप इस पर गौर कीजिए कि जहां भी शैड्यूल्ड कास्ट का कोई डिप्लोमा होल्डर, कोई डाक्टर, कोई बी.ए. बी.एड. या ट्रेनिंग लेकर जब कालेज या स्कूल से वापस आए तो उसको फौरन नौकरी देनी चाहिए। इसकी एक सालाना रिपोर्ट भी सदन में आनी चाहिए कि कितने शैड्यूल्ड कास्ट इस देश में एजुकेशन ले चुके हैं, कितने डाक्टर हैं, कितनी जुडीशियल में हैं, कितने एग्जीक्यूटिव में हैं। आज हम देखते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में हमारा कोई महत्व नहीं हमारे हाइकोर्ट में एसा है कि जब प्रमोशन की बात आती है तो वहां पर तीन साल की जो रिपोर्ट है वह लेनी पड़ती है और उसमें दूसरे जजों को पता चलता है कि यह शैड्यूल्ड कास्ट का आगे आने वाला है तो उसके खिलाफ कोई न कोई अर्जी दे देते हैं या दूसरे जैसे कुछ रिपोर्ट का होता है। अगर सेटिसफक्टरी रिपोर्टर तो भी उसको परमोशन नहीं दे तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जुडीशियल और एजीक्यटिव में भी आप इसका पूरा ध्यान रखें और जो ऐसी बेइंसाफी हो रही है, इस बेइंसाफी को दूर करें।

सरकार ने बहुत सी चीजें हमारे सामने लाई हैं। मैं बताना चाहता हूं कि एम्प्लायमेंट की बात यह है कि, जो एडेड स्कूल होते हैं गवर्नमेंट के, उसको गवर्नमेंट टेकओवर करती है। बहुत सारे लोग एसे प्रोफेशनल हैं कि उन्होंने अपने स्कूल खोले हुए हैं और उसमें सारे घर वाले ही रखे हुए हैं। उसके बाद पोलिटिकल प्रेशर डालकर गवर्नमेंट को उन स्कूलों को हेंडओवर कर देते हैं। इससे वह एक पूरी फैमिली गवर्नमेंट सर्विस में चली जाती है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब, जब ऐसे ऐडेड स्कूल गवर्नमेंट को हैं और गवर्नमेंट को जब मैनेजमेंट कमेटी हेंडओवर करती है। तो उसमें रिजर्वेशन का जरूर देखना चाहिए कि उसमें रिजर्वेशन पूरा है या नहीं ? एक फैमिली के सभी मैम्बर्स को गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बनाना चाहिए। यह तो स्कूल की बात हुई, बहुत सी मिलें ऐसी हैं, जिनको हम डैड मिल कहते हैं और वह गवनमेंट ले

लेती है। जब उनको गवर्नमेंट लेती है, तो उसमें यह कहना चाहता हूं कि जब मिलें हेंडओवर हों तो उसमें भी हमारी नुमाइंदगी देखी जानी चाहिए। जब हम उनमें काम करते हैं, हम गन्ना लाते हैं, हम धागा बुनते हैं, मशीन में काम करते हैं, मगर जब मिलें गवर्नमेंट को दी जाती हैं तो हमारे स्टाफ को निकाल दिया जाता है। ऐसे जो हमारे साथ डिसक्रिमिनेशन रहे है, उस ओर मंत्री महोदय गौर कर, ध्यान देकर, अपने दिल में दर्द रखकर दूर करायें और महात्म गांधी के सपने को पूरा करने का यत्न करें।

अब लेबर की बात आती है, जिसको बांडेड लेबर कहते हैं। वह ऐसे होता है कि हमारे लोगों को खेत में या तो प्राइवेट मिलों में या घरों में हमारे लोगों को नौकर रखा जाता है। कई-कई साल उनको अपने साथ रखा जाता है। तनख्वाह बहुत थोड़ी होती है, कभी उनको तनख्वाह देते हैं, कभी नहीं। मिनिस्टर साहब, मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक किराने की दुकान पर छोटा सा बच्चा, जिसकी उम्र 18 साल से अधिक होती है, उसकी तो हाजिरी लगती है, शाप इस्पेक्टर देखता है कि आपकी किराने की दुकान या कपड़े की दुकान या दूसरे और स्टोरों में कितने आदमी काम करते हैं, उनको तो पूछा जाता है, उनकी तनख्वाह के बारे में तो पूछा जाता है, लेकिन हमारे देहात में खेतों में जो लोग काम करते हैं उनका कहीं रिकार्ड नहीं होता है और कभी उनका जब झगड़ा होता है, लैंड लार्ड से जब वह तनख्वाह मांगता है या उनसे कहता है कि मेरी तनख्वाह को और ज्यादा करो तो उसका कहीं रिकार्ड नहीं होता और कोई उसका झगड़ा निबटाने वाला नहीं होता लैंड-लार्ड कहता है कि मैंने तो आपको 100 रुपए पर रखा था, 100 रुपए लेने हैं तो ले लो नहीं तो निकलो यहां से। तो मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगा बड़े अदब से कि यह बहुत जरूरी मेरा क्वेश्चन है आपकी खिदमत में कि देहातों में जो लोग काम करते हैं उनका रिकार्ड पटवारी के रिकार्ड में दर्ज होना चाहिए कि उन्होंने कब से काम शुरू किया है, कितनी तनख्वह पर किया है और कितने घंटे यह काम करता है। यह आप गौर से मेरी बात नोट कीजिए देहातों का मसला है, न उनकी थाने में सुनवाई होती है और न कहीं और सुनवाई होती है, तो यह बहुत जरूरी प्वाइंट है मेरा।

बहुत से हमारे लॉ ग्रेजुएट हैं, उनको कहीं ओथ कमिश्नर की बात नहीं होती, उनका रिजर्वेशन होना चाहिए। नोटरी पब्लिक जो है, उनको भी जगह नहीं मिलती हमारे बहुत से वैल एजुकेटिड बेरिस्टर पड़े हैं, उनको बहुत सी जो स्टेंडिंग काउंसिल हैं, उनमें भी जगह नहीं मिलती और दूसरे लोग इसको ले जाते हैं। तो हमारी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप उनको केस देंगे, स्टेंडिंग काउंसिल में वे होंगे तो गरीब एस.सी./एस.टी. का जो केस आएगा तो वह उसको हमदर्दी से निबटाएगा। यह मेरी आपसे दरख्वास्त है, इसको जरा ध्यान से देखिए। जो हमारा बड़ा मसला है....

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद सिब्ते रजी): कृपया समाप्त करने की कोशिश कीजिए।

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण: आगे बढ़ूं ? ठीक है, जैसा आप हुक्म करें। तो मेरी आपसे दरख्वास्त थी कि यह जो हमारा औरतों का एक बड़ा मसला है, हमारी औरतें घर में तो काम करती नहीं, वह खेतों में काम करती हैं या किसी लैंड-लार्ड के घर में काम करती हैं, उनके साथ बड़ी नाइंसाफी होती है। अभी-अभी आपने देखा होगा कि यू. पी. में, बिहार में, इससे पहले तो हमारी झग्गियां जलाई गईं,

हर किस्म का हमला हमारे ऊपर होता है, लोगों की बेइज्जती होती है । हमारी, खासकर एस०सी०/एस०टी० की औरतों की बेइज्जती की जाती है, उनको नंगा नचाया जाता है। अगर आजादी के बाद भी हमारी बहनों और भाइयों की इस किस्म की हिफाजत नहीं तो फिर कहां मिलेगी ? मैं समझता हूं कि हमारी सरकार जो है, कांग्रेस सरकार, इस सरकार के काल में बहुत कम ऐसे वाक्यात हुए हैं। अब जहां-जहां, यू.पी. में सरकार है, कितने लोगों पर हमले किए जाते हैं, अनटचेबिलिटी अभी भी है। जैसी मेरे भाई ने बात की कि एस०सी०/एस०टी० का व्यक्ति अपना जूता पहनकर जा नहीं सकता, अपना कपड़ा अच्छा नहीं पहन सकता। अनटचेबिलिटी का जब कानून बन गया है तो लोगों को सजायें क्यों नहीं दी जातीं ? लूट-मार, डाकेजनी, झुग्गियों को जलाना, रेप के केस, कत्ल करना, यह हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। दूसरे स्टेटों में, राजस्थान में, बिहार में, यू०पी० में ऐसे वाक्यात हुए हैं, इन वाक्यात की इन्क्वायरी करके सदन में रिपोर्ट देनी चाहिए, यह मेरी आपसे दरख्वास्त है । अब ज्यादा लोग जूता बनाते हैं। अब लैदर का काम है, ज्यों-ज्यों हम मोडरेट होते चले जाते हैं। अब सारा जो काम है वह दूसरे लोगों ने ले लिया है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हर सतह पर डिस्ट्रिक्ट लेविल पर, स्टेट लेविल पर एक लैदर कारपोरेशन होना चाहिए। इस लैदर कारपोरेशन को सस्ता बिना ब्याज का कर्जा एस०सी०/एस०टी० लोगों को देना चाहिए । जो लोग सूत बनाते हैं, उनके लिए एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का लाईसेंस भी देना चाहिए। यह जो रेडीमेड कपड़ा जाकेट वगैरह हैं, यह सब लैदर की होती हैं और इनका बहुत बड़ा काम जालंधर में है। उसको आगे बढ़ाने के लिए जरूर सहायता देनी चाहिए । –(घंटी)– मैं आपसे यह भी अर्ज करूंगा कि अगर हमारी बहू-बेटियों की इज्जत ऐसे ही लूटनी है तो हमें अपनी खुद हिफाजत के असलहे के लिए ट्रेनिंग दो और असलहा मुफ्त दो। फिर हम देखेंगे कि वह कैसे **हमारे लोगों की बेइज्जती करते हैं।**

दूसरे, जैसे मेरे भाई ने बोला है, मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि बहुत से लोगों ने शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का सर्टिफिकेट लेकर एम०बी०बी०एस० में दाखिला लिया है। कुछ डिप्लोमा होल्डर्स हैं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद सिब्ते रज़ी): कल्याण जी, क्योंकि लंच का समय हो रहा है, आप कृपया समाप्त करें।

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण : लंच से पहले दो-चार मिनट रह गए हैं। लंच से पहले समाप्त कर दूंगा। अगर आप कहें तो अभी बैठ जता हूं ।

उपसभाध्यक्ष (सैयद सिब्ते रज़ी) : चलिए, समाप्त करें । आप चार मिनट ले लीजिए । लेच से पहले-पहले समाप्त करदें। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं ।

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण : तो जो लोग शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का सर्टिफिकेट लेकर डाक्टर बने हैं और डिप्लोमा होल्डर्स हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों ने ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट लिए हैं। बाद में उन सार्टिफिकेटों को रद्द किया है और उनकी सर्विसेज को डिसमिस किया गया है। जो लोग ट्रेनिंग में आए हैं उनको इस कारण ट्रेनिंग से बाहर निकाला है। इसकी रिपोर्ट मिलनी चाहिए ।

मैं आपसे यह भी दरख्वास्त करूंगा कि जो ट्रांसपोर्ट के रूट परमिट हैं, वह शैड्यूल्ड कास्ट को दिए जायें तथा इसके लिए एक कोआपरेटिव सोसाइटी बना दी जाए, वह उसमें काम करें । मेरी आपसे यह भी दरख्वास्त है कि जो सफाई कर्मचारी हैं, उनका एक कमीशन बना दिया है । लेकिन उस कमीशन की डेट खत्म करने की लिखी हुई है, लेकिन इस कमीशन को डेट यह नहीं बताई कि यह कमीशन कब काम करगा। इन लोगों के लिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि शहरों में बहुत सी जमीन पड़ी हुई है । इन लोगों को सफाई करन **के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है । तो**

जहां पर शहरों में जमीन है, उस पर इन लोगों के लिए कालोनियां बनानी चाहिए और उसमें सस्ते रेट पर इनको मकान देने चाहिए, यही महात्मा गांधी का असली सपना था । तो मैं आपसे यह दरख्वास्त करना चाहूंगा कि जो कारपोरेशन या कमीशन बना हुआ है, उस कमीशन ने कोई रिपोर्ट नहीं दी । तो इस कमीशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है । इन लोगों पर जो अत्याचार तथा अन्य वाक्यात होते हैं, उन सबकी इसको एक सालाना रिपोर्ट इस सदन में देनी चाहिए ।

इनकी बहुत बड़ी समस्या जमीन की है । जमीन तो कांग्रेस राज ने दी है । बहुत अच्छी बात की है । लेकिन जो बड़े-बड़े लैंड लार्ड हैं जमीन उनके नाम है । हमें जमीन की एलौटमेंट तो हो जाती है लेकिन हमें कब्जा नहीं मिल पाता है । मैं आपकी खिदमत में बड़े अदब से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी, हमारी सरकार—राव साहब की सरकार चाहती है कि हिन्दुस्तान का पिसा हुआ मजदूर, हिन्दुस्तान के एस०सी०, एस०टी० के लोग खेतीबाड़ी करें और उन लोगों को जो जमीन दी जाए उसका उनको कब्जा भी दिलाया जाए । इसके अलावा उनको ट्यूबवैल के लिए, उनके स्कूल के लिए, उनके बैलों के लिए बिना किसी ब्याज के उनको कर्जा देना चाहिए ताकि वह आदमी आगे बढ़ सकें । ऐसी सोसाइटीज भी हैं जिनके नाम में शैड्यूल्ड कॉस्ट, शैड्यूला ट्राईब्स लिखा हुआ है । तो उन सोसाइटीज की भी रिपोर्ट आनी चाहिए कि इन लोगों के काम करने के लिए आपने क्या-क्या किया हुआ है । कितनी सोसाइटियां हैं और कितना-कितना गवर्नमेंट ने उनको एड देने के लिए प्रण किया है ? कितने रुपए दिए हैं ?

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद सिब्ते रजी) : प्लीज़ खत्म करें । आपने डेढ़ बजे का वादा किमा था, डेढ़ बज गया है ।

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण : साहब, ''हम आह भी भरते हैं, हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं; चर्चा नहीं होता,,। शुक्रिया ।

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY HA I): Mr. Virendra Kataria, please take the floor.

श्री वीरेन्द्र कटारिया (पंजाब) : वाइस चेयरमैन साहब, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SUBTEY RAZI): Mr. Kataria, you can continue after the lunch break. The House is adjourned for lunch till 2.30 p.m.

The House then adjourned for lunch at thirty-one minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-five minutes past wo of the clock, *The* Vice-Chairman (Miss Saroj Kha-parde) in the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN: Now, we will continue the discussion on SC/ST Reports.

श्री वीरेन्द्र कटारिया : मैडम वाइस चेयरमैन, आपका बहुत शुक्रिया । मैडम, मैं कह रहा था कि हिन्दुस्तान को आजाद हुए करीबन 50 साल हो गए । हिन्दुस्तान का जो विधान बना उस में छुआछूत को खत्म करने के लिए हिन्दुस्तान के जो दबे हुए और कुचले हुए लोग हैं उन का शोषण रोकने के लिए, उन का उत्थान करने के लिए कांस्टीट्यूशन में व्यवस्था है । कानून की किताब में तो छुआछूत खत्म हो गई और बहुत से ऐसे कानून बने हैं जिन में शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज को ऊंचा उठाने के लिए व्यवस्था है । स्टेट्स में भी इसके लिए कानून बने हैं और यहां भी कानून बने हैं । लेकिन इन सब कानूनों के बावजूद, किताबों में तो ये कानून दर्ज हैं, लेकिन जो दिल की किताब है शायद उसमें बहुत हल्का सा भी इनका कोई अक्स नजर नहीं आता । जब तक अंदाजे फिक्र नहीं बदलती, जब तक लोगों की सोच नहीं बदलती, मैं नहीं समझता कि हमारे

माथे पर जो कलंक लगा हुआ है, आज से नहीं अनेकों सालों से, उस के दूर होने के कोई आसार हैं ।

मैडम, मुझे अपने बचपन के वह दिन याद हैं, ये बातें आजादी के पहले की हैं, जब पानी पिलाने के जो मंदिर हैं, जो प्याऊ है किस तरीके से बड़े आदमियों के लिए, सवर्ण जातियों के लिए, हरिजनों के लिए, शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिए जब मैं तसव्वुर करता हूं तो मुझे बांझ की नालियां आज भी नज़र आती हैं जहां पिछड़े हुए, दबे हुए लोगों को पानी पिलाया जाता था । दूसरी जगह से वह पानी पी नहीं सकते थे । मंदिर में वह जा नहीं सकते थे । स्कूलों में उन के बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते थे, नौकरियों में उनके लिए दरवाजे बंद थे, मेम्बर वह ऐसेंबली के बन नहीं सकते थे, एमपी बन नहीं सकते थे, कोई बड़े अफसर बन नहीं सकते थे, ये सारे तसव्वुर हमारे सामने हैं। बापू ने एक ही बात कही थी कि जब तक हिन्दुस्तान के किसी मजलूम की आंख में आंसू है तब तक इस स्वराज का जो मकसद है वह पूरा नहीं हो सकता । इस आजादी को लेकर इस मकसद को लेकर उन्होंने हिन्दुस्तान में एक चेतना की लहर दौड़ाने की कोशिश की । कांग्रेस की सारी तहरीक इस बात की गवाह है कि शैड्यूल्ड कास्ट और उस के साथ दबे हुए, पिछड़े हुए, कुचले हुए लोगों के लिए आजादी की तहरीक में जो प्रोग्राम बनाया, इन लोगों को ऊंचा उठाने की तहरीक का एक हिस्सा था । आजादी जब हिन्दुस्तान में आई तो जो विधान बना उसमें छूआछूत को कानून की नज़र से एक जुर्म करार दिया गया । शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज कव ऊंचा उठाने के लिए कानून बना, कमीशन बना और आज उस कमीशन की रिपोर्ट पर गौर करने के लिए, बहस करने के लिए मैं भी उस में हिस्सा लेने के लिए खड़ा हुआ हूं । सब कुछ होने के बाद मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जितने कानून बने उस पर अमल कम हुआ, अगर मैं यह कहूं कि जो कानून बने उनका उल्लंघन ज्यादा हुआ और उन पर अमल कम हुआ तो मैं समझता हूं मैं कोई मुवालगा से बयान नहीं कर रहा हूं । हिन्दुस्तान में आज भी अनाज का भंडार भरा पड़ा है । अनाज रखने के लिए जगह नहीं है लेकिन आज भी हिन्दुस्तान में वे बच्चे जिनकी उम्र खेलने की है, जिनकी उम्र उमगों से, अहसासों से खेलने की है, जिनके लड़कपन के दिन हैं उन बच्चों को आज भी बीड़ी के कारखानों में, माचिस के कारखानों में, आतिशबाजी बनाने के कारखानों में काम करना पड़ता है । उन 50 मिलियन बच्चों का जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं 90 फीसदी शैडयूल्ड कास्टस और शैडयूल्ड ट्राइब्स के बच्चे हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि यह कैसी आजादी है, यह कैसा कानून है कि जिन बच्चों कि किस्मत को बनाने के लिए हमने कसमें खाई हैं, विधान बनाया है, आजादी की जंग लड़ी है, इस आजादी के इतने साल गुजरने के बाद भी आज वे बच्चे, 50 मिलियन बच्चे ऐसे काम करते हैं । कोई और मुल्क हो जिसमें सैकडों बच्चे इस किस्मत के बारे में हों तो उस मुल्क में तुफान मच जाता है और यह तो 50 मिलियन बच्चे कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी नाजक उंगलियों से बीड़ी बनाते हैं । उनमें 90 फीसदी हरिजन, पिछड़ी जाति, शैडयूल्ड ट्राइब्स के बच्चे हैं । आज हरिजनों के उत्थान के लिए हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, कानून बनाते हैं,। उनके लिए सीलिंग कानून बनाया है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी कानून की सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ी हैं तो टेनेंसी लॉ की उड़ी हैं, सिलिंग कानून की उड़ी है । मैंने अपने इलाकों में मुजाहिदों को देखा है अदालतों के धक्के खाते हुए । मुझे आज भी एक मुजाहिद का नाम याद आता है केसरराम जो अबोहर से चलकर चंडीगढ साईकिल पर आया था 300 किलोमीटर का सफर तय करके फिर भी वह जनीन का मालिक नहीं बन सका । वह गरीब था, हरिजन था । बड़े मालिक के घर का लड़का नहीं था, बड़े-बड़े

वकीलों का मुकाबला नहीं कर सकता था । यह हमारे समाज पर और हमारे निजाम पर एक बहुत बड़ा तमाचा है । मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारा मुल्क एक ऐसे पहाड़ के दहाने पर खड़ा है कि अगर यह अन्याय जारी रहा, यह खिलवाड़ जारी रही, यह बेइन्साफी जारी रही तो हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों का विश्वास इस डेमोक्रेसी के निजाम से इस विधान से उठ जायेगा और हिन्दुस्तान की तारीख में एक बड़ी बदकिस्मती होगी । आज हम हरिजनों के लिए, शैडयूल्ड कास्ट्स के लिए बिल्डिगें बनाते हैं, हाउसिंग कालोनीज बनाते हैं तो कहां पर बनाते हैं ? शहर के बाहर बनाते हैं । यह जो हमारा कांसेप्ट है यह बिल्कुल गलत है । वह शहर में क्यों नहीं बना सकते ? उनके लिए अलग दूर जहां कोई बस्ती नहीं, आबादी नहीं वहां पर सरकार की तरफ से उनके लिए बस्ती बनाई जाती है और उस बस्ती का क्या हाल है कि कोई बिजली नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई लेट्रीन्स नहीं हैं, कोई सफाई नहीं है, कोई पानी की निकासी का इंतजाम नहीं है । अगर इसी तरीके से हम उनका उत्थान करना चाहते हैं, अगर इसी तरीके से हम उनको ऊंचा उठाना चाहते हैं तो यह अपने आपको धोखा देने वाली बात हो सकती है । मैं नहीं समझता कि उनको ऊंचा उठाने का कोई मकसद इससे पूरा होने जा रहा है । आज लोगों को पोलिटिकल फ्रीडम तो मिल गयी लेकिन गांधी जी कहा करते थे कि जब तक आर्थिक और सामाजिक न्याय नहीं मिला, आर्थिक और सामाजिक न्याय हरिजनों शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों पिछड़े वर्गों को नहीं मिलता तो यह आजादी बेमानी है । मैं बड़े अदब के साथ वजीर साहब की खिदमत में कहना चाहता हूं कि उन गरीबों को, उन पिछड़े हुए लोगों का ऐसा सोचना है कि हमें अभी आर्थिक आजादी और सामाजिक न्याय तो दूर की बात है, बल्कि उसका तसब्बुर भी बहुत धुंधला है और ऐसी कोई तस्वीर ऐसे इंसाफ की नजर नहीं आती । आज 50 साल की आजादी के बाद भी हिन्दुस्तान के अखबारात इस बात से भरे पड़े हैं कि आज इस जगह पर हरिजनों पर हमले किये गये, इस जगह पर उनकी औरतों को बेइज्जत किया गया, इस जगह पर उनके साथ ज्यादती हुई, इस जगह पर जला दिया गया । 50 साल के बाद भी अखबारों में अगर ऐसा आए तो हमारे लिये कोई पक्ष की बात नहीं बल्कि शर्म की बात है । गांधी जी ने अपनी जीवन की कुर्बानी देकर शैड्यूल्ड कास्ट को ऊंचा उठाने के लिए की । कांग्रेस ने भी अपने सारी आजादी की जंग को इनको ऊंचा उठाने के साथ वावस्ता किया । लेकिन हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारा जो निजाम है, उसमें जब तक इनकी हिस्सेदारी नहीं होती, उनको पोलिटिकल सत्ता नहीं मिलती, उनको एकानामिक बराबरी नहीं मिलती, उनको सामाजिक दर्जा नहीं मिलता, उनकी आवाज में उनके करदार में, उनकी पर्सनलटी का इम्पैक्ट हमारे समाज में नहीं पड़ता, तब तक ये रिपोर्टें हर साल पेश होती रहेंगी और हम इन रिपोर्टों को डिसकश करके नन्निस्तन्द, गुप्तन्द, बरस्वास्तन्द होते रहेंगे और यह देरी हमें उस जगह पहुंचा देगी, जैसा मैंने कहा कि हम अतिशफसा पहाड़ के दहाने पर खड़े हैं जो कि फटने वाला है । जब कोई बड़ा दरख्त तूफान में गिरता है किसी बड़े आदमीने यह कहा था और मैं भी कहना चाहता हूं कि दबे हुए, पिछड़े हुए घरों की आप बददुआयें न लें और उनको ऊंचा उठाने की कोशिश करें । उर्दू का एक शर है :

"फसादी घरों को जा चुके हैं,
और मुहाफिज रात भर चौकस खड़े हैं" ।

सिपाही हैं, थानेदार है, पुलिस है, सब कुछ है लेकिन आज फिर भी उन बेकसों को लूटा जाता है, उन पर जुल्म किये जाते हैं, उनकी औरतों की करदारकसी की जाती है, उनकी बेइज्जती की जाती है । क्या आपने कभी इस बात का एनालेसिस किया है, इस बात के आंकड़े इक्ट्ठे किये हैं कि जिन लोगों को जिन बहनों की बेइज्जती की गयी है तो जिन्होंने उनको बइज्जत किया उनमें से कितनों को सजा हुई है । नतीजा क्या है ? यह संख्या इतनी कम नजर आती है कि इसाफ के ऊपर से एतदमा

उठ जाता है, विश्वास उठ जाता है । तो मैं कहना चाहता हूं कि इस माहौल को, इस सिचुयेशन को, इस सोच को बदलने की जरुरत है । जब तक यह बदला नहीं जाता है, जब तक ड्रास्टिक कदम नहीं उठाये जाते हैं तब तक इसका हल नहीं होगा । जो लोग राजपाट करना चाहते हैं, हरिजनों के नाम पर मजदूरों के नाम पर, पिछड़े हुए लोगों के नाम पर उनको चाहिए कि वे उनको इसाफ दें। अगर वे उनको इंसाफ न दे पाये उनके लिए राज करना मुश्किल हो जायेगा । आज उनमें चेतना आ चुकी है लेकिन यह गलत चेतना से भी हो सकता है । मुल्क का भला इस बात में है कि उनकी जो ताकत है, उनकी जो शक्ति है वह कस्ट्रक्टिव तरीके से चेनलाइज हो। मुल्क का डवलपमेंट आहिस्ते आहिस्ते जिस तरीके से हम करना चाहते हैं करें। यह हमें जरूरी तरीके से करना चाहिये । मगर ये शक्तियां पायमाद हो गई तो वह दूसरा रास्ता भी सोच सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं समझता हूं कि यह न उनके लिये ठीक होगा और न मुल्क के लिये ठीक होगा । मैं यह तजवीज करना चाहता हूं कि ट्राइबल लैंड , फॉरेस्ट लैंड उनकी जिन्दगी का हिस्सा है, उस ट्राइबल लैंड से ट्राइबल्ज को उजाड़ा जाता है, बाहर के लोग वहां पर कब्जा करते हैं, इससे उनके अन्दर एक ऐसी अनइजीनेस, ऐसा रेस्टलसनेस आता है कि वहां पर उस तहरीक को कई नाम दिये जाते हैं। मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता हूं । मैं तजवीज करना चाहता हूं कि ट्राइबल लैंड जो है उनकी जिन्दगी का एक इंटेग्राल पार्ट है, ट्राइबल लैंड फारेस्ट लैंड पर जैसे उनके पहले हकूक थे, वह हकूक उनके रहे। उसके वे इस्तेमाल भी कर सकें । कागज पर तो हकूक उनके नाम पर हो सकते हैं लेकिन उस जमीन का इस्तेमाल उनके लिए दिन-ब दिन मुश्किल बनता जा रहा है। मैं तजवीज करना चाहता हूं कि इस बात पर गौर किया जाए। उनका जो रिश्ता फॉरेस्ट लैंड ट्राइबल लैंड से है, वह उसी तरीके से बना रहे । जैसे वह पहले बेनिफिट लेते रहे हैं, उसी तरह से लेते रहे ।

पढ़ाई-लिखाई और माडर्न टेक्नीक इन एग्रीकल्चर का आदान-प्रदान इनको कराया जाए। इनको जमीन दे कर ट्रेंड किया जाए कि आधुनिक तरीके से खेती कैसे की जाती है ताकि इनका रोजगार और आमदनी का जरिया बढ़े। मैं आपको यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि जब आमदनी के जरिये बढ़ेंगे, पढ़ाई-लिखाई का इंतजाम होगा तो फिर यह अपने आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे । यह सेल्फ स्टार्ट होंगे । इनको एजुकेशन दी जाए, स्पेशल स्कूल खोले जाएं लिबरल वजीफे दिये जाएं तथा जिनके पास एग्रीकल्चरल लैंड है उनको आधुनिक खेती की शिक्षा दी जाए ताकि उनका रहन-सहन वे आफ लाईफ स्टैंडर्ड आफ लिविंग ऊंचा उठा सकें । इसी तरीके से मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा तरक्की करेगा। जब एक मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा तरक्की नहीं कर सकता तो आपका मुल्क भी तरक्की नहीं कर सकता । The country will develop as a whole. अगर इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बीमार है, दूसरा हिस्सा खुशहाल है तो वह तंदरुस्त रह नहीं सकता, ऐसा मेरा कहना है । इनकी बस्तियों में कम्युनिकेशन और सड़कें भी होनी चाहियें । यहां इनकी बस्तियां बनाई गई हैं, मकान बनाए हैं, वहां कोई माडर्न फेसिलिटीज नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं । अगर सड़कें बनाई गई हैं तो नाम की हैं, टूट जाती हैं । उसके बाद उनकी हालत को कोई संवारने वाला नहीं है । लैंड टू दी टिलर जो कांग्रेस का एक कार्डिनल प्रिंसिपल है, सीलिंग एक्ट कांग्रेस का कार्डिनल प्रिंसिपल है, इसको पूरा रिव्यु किया जाए । ऐसे लोग जिनके वेस्टेड इंट्रेस्ट हैं, वे यह चाहते हैं कि यह लागू न हों, गरीबों तक उनका हिस्सा न पहुंचे, वे इस रास्ते में सब से बड़ी रुकावट हैं । हमारी सरकार का यह फर्ज है कि इसके लिए रिट्रेंजेंट कानून बनाए । कई दफा लैंड बेच दी जाती है, मकान दे दिये है लेकिन अमीर आदमी इनसे जमीन खरीद लेते है, मकान भी खरीद लेते हैं और गरीब आदमी अपनी किस्मत के मारे उनको बेच देते हैं क्योंकि उनके पास साधन नहीं होते हैं । ऐसा कानून बना दिया जाए कि कोई आदमी उस जमीन और मकान कोई नहीं खरीद सके। अगर बेनामी भी खरीदे Theh law should provide that it reverts back to that unfortunate man. उन पिछड़े हुए आदमी को वह जमीन रिवर्ट हो जाए। लॉ में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये ।

नौकरियों का सवाल है । कल्याण साहब ने जैसे कहा और फिगर्ज दी कि किस तरीके से एडवरटाइजमेंट होते हैं, किस तरीके से इंटरव्यु हो जाते हैं और बार-चार साल तक नतीजे नहीं निकलते और किस तरीके से बैकडोर से लोगों को भर्ती कर दिया जाता है और बाहर फट्टा लगा है कि देयर इज नो वेकेंसी। मैं यह पूछता हूं कि जिन लोगों ने इम्तहान दिये हैं, इंटरव्यु दिये हैं, चार चार साल तक इंतजार किया है, उन लोगों का रियेक्शन क्या होगा । वह लोग क्या सोचते होंगे ? मैं कहना चाहता हूं कि यह जो लूट-खसूट के तरीके हैं, पुराने गले-सड़े निज़ाम का जो हिस्सा है, वह काट पर फैंक देना चाहिये और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि सरकार ने कानून बनाया है उसके मुताबिक जिन लोगों के लिए नौकरियां रिज़र्व हैं उनको यह मिलनी चाहिये। कानून ऐसा स्ट्रिजेंट बनाना चाहिये जिससे उनको यह हक मिल जाए । सफाई कर्मचारियों की टोकरियां उठवा दी हैं। यह बहुत बड़ा उपकार है । यह बहुत बड़ा काम है । सालों से ये लोग गंदगी अपने सिरों पर उठा कर जिस तरीके से चलते थे यह हमारे समाज के ऊपर और हमारे मुल्क के ऊपर एक बहुत बदनुमा धब्बा था । एक आदमी ने—बहस कर रहे थे—मुझसे कहा कि कांग्रेस ने इन शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का दिमाग बहुत ख़राब कर दिया है। मैंने कहा कि मेरे भाई दो दिन आप गंदगी की टोकरी अपने सिर पर उठाकर मुझे दिखा दें मैं आपकी सब बातों को मान लूंगा । सिर्फ दो दिन उठा लें, और इन लोगों की हिम्मत देखिए कि पता नहीं कितने साल गुजर गये, शायद सदियां गुजर गयीं आपकी गंदगी, आपकी टट्टी अपने सिरों पर उठाते हुए। इनका भी नाक है, इनका भी खून है और उस खून का रंग लाल है, इनका भी हमारे साथ दिल धड़कता है । आप इन लोगों के जज्बात को समझिए । आप क्या बात करते हैं । इन लोगों को थोड़ी-सी फैसिलिटीज दे दी है और ये भी आपको गवारा नहीं है । ऐसे लोगों को सख्ती के साथ इन मुल्क के सियासी नक्शे से दूर कर देना चाहिए और जो लोग इनकी खिदमत करना चाहते हैं, जो लोग इनके अहसास को समझते हैं उनको इनकी खिदमत के लिए ऐसा कानून बनाकर इन लोगों का जो दबा हुआ हक है उसको देने की कोशिश करनी चाहिए ।

बंधुआ मजदूर—उनका भी मैं जिक्र करना चाहता हूं । जो बेगार आज से 50 साल पहले ली जाती थी, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई तनख्वाह नहीं कोई इन्साफ नहीं । आप हमारे बंधुआ मजदूर हैं और आपके बाद आपका बेटा बंधुआ मजदूर है, आपकी बहू भी हमारी नौकर है । इस आजादी के बाद आज भी बंधुआ मजदूर रहे तो यह हमारे समाज और समाज का जो पोलिटिकल निजाम है उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लोग आज एक्शन चाहते हैं, रिपोर्टें नहीं चाहते हैं, वे एक्शन चाहते हैं कि उनको बदली हुई तस्वीर नजर आए । तो वजीर साहब मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था कीजिए कि जो कानून हमारी ही सरकार ने बनाए हैं, हमारी ही पार्टी ने बनाए हैं उन पर अमल हो। उनका विश्वास उनका एतकाद हमारे ऊपर भी और हमारे निजाम पर बना रहे । यह मेरी आप से दरख्वास्त है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANKKA BALU): Madam Vice - Charirman, first and foremost, I express my heartfelt thanks to this august House for taking up for discussion the Reports of the Commission and Commissiner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I am personally privileged to have got this opportunity to inform the House on the various developmental measures that our Government has taken up for the welfare and development of th» Scheduled Castes and

Scheduled Tribes. This opportunity to speak on behalf of the Government is a great honour, for this paves the way to bring into focus the commitment of the Congress Party and its Government towards the development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who, for no fault of theirs, have been suffering from the stigma of untounchability and life-in-seculsion for centuries.

Madam, it is a matter of regret that some of our friends from the Opposition did not feel it necessary to take part in this vital discussion relating to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This attitude of theirs shows the concern—or, if I may say so, the lack of it—they have for the cause of the development of the poorest of the poor.

I am thankful to all the hon. Members who have participated in the d'scus-sion. The points raised and the suggestions made by Shri Ajit Jogi—he made an eloquent speech and spoke for more than an hour—Shri Kishore Chandra Deo, Shri Madhavan, Shri Ish Dutt Yadav, Shri Moolchand Meena, Shrimati Urmilaben Patel, Kumari Mayawati, Shri Mohinder Singh Kalyan and Shri Virendra Kataria have enriched this dis-cussion and have made it a fruitful and worthwhile affair.

Apart from the location-specific pro blems that were raised, the following issues of general nature were also raised by our hon. friends during the course of the discussion. The discussion was basically to inform the House as well as us about:

— the need to abolish immediately untouchability;

— the need to remove the gap between the words and the deeds;

— the need to remove problems caused to the SCS and STg due *to* the age-old customs and traditions by ensuring proper implementation of the provisions of Constitution and other laws;

— the need to ensure effective action against those who commit afro_ cities on SCs and STs.;

_ the need to encourage inter-casts marriages;

— the need to take immediate Steps for expeditious, distribution of sur plus land and to update the land records;

— the need for expeditious land-allotment to the SCs and STs;

— the need to empower the SCs and STs to have a say in the implementation of the schemes intended for their welfare and development;

— the need to strengthen the State-level Scheduled Caste Development Corporations including; the TRIFED and the NSFDC;

— the need to activate promtion of the SC and ST in small industries and business as a means of achieving their socio-economic independence;

— the need to improve the literacy levels amongst the SCs and STs to have better educational facilities for the SCs and STs and to provide more hostels for the SCs and STs.

— the need to protect the opportunities provided to the SCs and STs of reservations in promotions;

— the need to ensure that the carry-forward vacancies are retained so that the SC and ST vacancies are not filled by others;

— the need to have text-books in tribal dialects/languages;

— the need for a separate Commission for the SCs and STs; and

— lastly, the need for continuing the SC/ST concessions to the SC/ST converts to Christianity.

Madam, I assure that all the specific problems and issues pointed out by the non. Members will be taken up separately, and we will give necessary, effective consideration in the course of implementation of our schemes for the SCs and STs. Also, we would take up these issues with the respective Departments of our Government and also the State Governments would also be requested to take appropriate and necessary actions on the basis of the valuable suggestions given by the hon. Members.

The other suggestions which are mote general and not necessarily location-specific—1 have mentioned them earlier—have their focus on the socio-economic and educational development of the SCs and STs. This rightly brings the d-s-cussion under proper perspective viz the basic strategy, he means to be adopted for achieving this strategy, the results desired and achieved and the reasons thereof. The basic strategy for the development of SCs and STs was formed by the Congress Government at the Centre with the aim of hitting at the very factors that had been responsible for keeping them below others in the social, educational and economic spheres. It was decided that simultaneously three-pronged measures should be taken, viz. (1) preventive measures by way of administration of PCR and Prevention of Atrocities Act; (2) positive discrimination by providing reservation in Government services and in admission to the educational institutions apart from the provisions for reservation in State Legislatures and the Lok Sabha and the Rajya Sabha; and (3) educational and economic development measures which include the very important aspect of the agrarian relations,, viz., the land reforms.

Our Government is determined that atrocities against SCs and STs shall be dealt with firmly. This commitment, as this august House is well aware, is neither new nor opportunist. This commitment has been handed down from one generation to the other in the Congress right from the days of our beloved Father of the Nation, Mahatma Gandhi. This glorious neritage and emphatic in volvement in the protection of SCs and STs made Smt. Indira Gandhi, our be loved leader, rush to Belchi in the State of Bihar, when the atrocities ag ainst the Scheduled castes were on. The similar ethos made Shri Rajiv Gandhi, our former beloved Prime Minister, rush to Karamehedu near Tirupati. In the same tradition our beloved Prime Minister convened the meeting of the Chief Ministers in the year 1991 after he took over power and gave a clear direction to the country saying that the atrocities on SCs and STs should be stopped forthwith. And today, being on the same wave'ength, we are marching ahead and taking steps wherever such at rocities take place.

While law and order is a State subject, any report of atrocities on SCs and STs is immediately taken cognisance of by our Government. We have a Control Room and on day-to-day basis we forward these reports to the State Governments and ask the State Governments to take appropriate measures to curb this menace. We also request the State Governments to book culprits and give stringent punishment to those people who are involved in the atrocities. Under the PCR and Prevention of Atrocities Act we provide financial assistance to the State Governments and Union Territory Administrations for legal aid to be provided to the SCs and STs and for running special courts and mobile courts for ensuring quick justice in cases under PCR and Atrocities Act. Financial grants are also given to the couples who have had inter-caste marriage of whom one of the spouses belongs to the SC|ST family. Madam, you will be glad to know that on an average....

SHRI S. MADHAVAN; In my State, we give gold medal. An amount of Rs. 6 crores is granted annually to the States and Union Territories for the imple-

mentation of the PCR and Atrocities Act. Owing to the continuous monitoring in this count, the practice of untouchability is on the wane. The offences under the PCR Act have reduced to about 3,000 cases per year from 3,500 cases earlier. We are trying to reduce them further. The vigil has to be continuous. While the cases under the PCR Act which mainly deals with the crime of untouchability have shown a declining trend today, the cases under the Atrocities Act have been slightly higher, specially in Sta tes like Uttar Pradesh. I wish Miss Mayawati was here today. I would seek her help to stop this menace in that State where they are in power today. Similar is the case with Bihar. As ag ainst 21,505 cases registered in 1991, there has been an increase slightly to 22,178 cases registered in the year 1993. Madam, we have impressed upon the State Governments the need to take effective measures against the offenders under this Act.

Madam, a majority of the Members, while speaking, mentioned about the scavenging system. The liberation of scanvengers who have suffered very badly due to the stigma attached to the profession has become the top-most priority of this Government. For the liberation and rehabilitation of scavengers, a special scheme costing Rs. 905 crores was launched in the year 1992 Our hon. Prime Minister, from the Red Fort, announced that menace of scavenging would be abolished before the Eighth Plan period. In this direction, we have sanctioned about Rs. 195.87 crores to the States and the Union Territories. About 6,81,428 scavengers have already been identified for training and rehabilitation. Till date, in, about one year's time, we were able to rehabilitate about 43,000 people. The progress in this direction is very encouraging and we have also written to the Chief Ministers to take special are in this direction so that within the estimated time, that is, before the Eighth Plan period, we can achieve the target and abolish scavenging. To solve this problem, we should create a greater awareness and create more opportunities. About Rs. 980 crores has been earmarked in the Eighth Plan for this area alone, to convert dry latrines to water-borne latrines so that scavengers may be relieved from the scenario and may be given alternative employment under the training and rehabilitation programmes. The hon. Prime Minister announced on 15.8.1993 that a Safai Karamchari Commission would be constituted. I am happy to inform you that within a month's time, the Safai Karamrhari Commission would be announced and this commission will bo watching and monitoring the progress of the very important schemes. Madam, the Government's determination to ensure protective measures to SCs and STs is borne out by the sincerity and dedication as is evident from the few instances stated above. Our commitment townrds their economic and educational development bears the same mark of determination and ideology that has been put into implementation in the most pragmatic and result oriented ways.

Madam, the Special Component Plan, the Tribal Sub-Plan, the special assistance provided to the SCP and the TSP, the creation of the State Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Corporations, the National SCs and STs Finance and Development Corporation and the TRIFED; have already been created with the aim to expedite the economic development of the SCs and ST_S in the country. Since the Sixth Plan period, about Rs. 27,127 crores have been provided to the SCP. Of the total Eighth Five Year Plan outlay of Rs. 1,83,867 crores, provision for the SCP is of the order of Rs. 36,799 crores. Similarly, Madam, Rs. 21,952 crores have been earmarked up to the year 1993-94 for the TSP. Till date, our Government have granted to

the States and Union Territories Rs. 2,480 crores as SCA to the SCP and Rs. 2,676 crores as SCA to the TSP. Madam, the SCDCs have continued to receive allocation from our Government towards the Centre's share capital. Since the inception of this scheme, a total quantum of Rs. 253.73 crores have been allocated to the State Corporations and 78.72 lakhs SCs and STs families have been benefited by the SCDCs in collaboration with the financial institutions. Madam, since its inception in February 1989, the Nationa] SC and ST Finance and Development Corporation, completely owned by the Government of India, has sanctioned 547 schemes, at a total cost of Rs. 446.26 crores, benefiting 1,74,742 people so far. Likewise, the TRIFED was set up by the Government of India in August 1987, with an authorised share capital of Rs. 20 crores which has now been increased to the level of Rs. 100 crores in the year 1992-93. Madam, the main aim and objective of the TRIFED is to market the tribal produce minor forest produce and to eliminate the private traders and middlemen from the scene, so that the tribal population in the country is benefited by way of support price for their produce. The turnover in respect of the TRIFED which was Rs. 22 crores during 1988-89, went up to Rs. 86 crores in the year 1992-93 and this is Rs. 106.75 crores in the year 1993-94. The target of the current financial year would be Rs. 204 crores. This Corporation is doing very well and the SC and ST people are getting the due benefits and thereby the middlemen and the power brokers cannot be allowed to cheat the SC and ST people. The hon. Members are aware of the special thrust given to rural development by this Government under the dynamic leadership of our Prime! Minister, Shri Narasimha Raoji. It is due to the personal attention of our hon. Prime Minister that the approved outlay for rural development which was Rs. 3,100 crores in the year 1992-93 rose to Rs. 7,010 crores in the year 1994-95. The total rural' development aims at ensuring fulfilment of basic minimum needs of all the people, especially the socially disadvantaged sections, the poor and the downtrodden, the women and the SCs|STs. Madam, our Government has earmarked Rs. 30,000 crores for the welfare of the weaker sections in the rural development area in the Eighth Plan period. Particularly under the IRDP, between 1985-86 and 1993-94, out of 281.76 lakh families assisted, 74.37 lakhs were SC families, 3914 lakhs were ST families. Similarly, in the Indira Awas Yoj-ana, between 1985-86 and 1993-94 an amount of Rs. 1,957.67 crores has been spent to construct 16,45,952 houses which mostly handed over to SC]ST families in the country. Under the Millions Well Scheme, Madam, which was started exclusively for SCs, between 1988-89 and 1993-94, till June, 6,97,819 wells at a cost of Rs. 2,189.17 crores have been constructed.

Madam Vice-Chairman, it is an accepted! fact that in the historic and unfortunate process of sub-jugation of SCs, one of the main areas was agriculture. Therefore, their liberation should also start mainly from the field of agriculture and related areas. Many hon. Members were speaking about the land reforms and they had suggested that the benefits should go to the weaker sections. I do agree with them. It is due to this realisation that out of 48.87 lakh beneficiaries who have been distributed the surplus land of 50.58 lakh acres in the country, till date, 36 per cent were chosen from among SCs and 14 per cent from among STs.

Moreover, to give security of tenure to tenants and share croppers, most of whom are SCs and STs, it is an accepted fact that the land records should be correct and up-to-date. Madam, to assist States in this great task, the Congress Government had started a Centrally sponsored scheme of strengthening of revenue administration and updating of records in 1987-88. Under this scheme, till date, Rs. 7984 crores has been allocated to 30 States Union Territories. Further, an additional amount of Rs. 13.78 crores has been

allotted to States|Union Territories under the scheme of computerisation of land records. It is because we want the Land to the Tiller Policy to be adopted and see that the land is owned by them always.

Some of the hon. Members while participating in this discussion had stressed the need for empowerment of SCS'|STs. I fully share their opinion. Madam, it is my proud privilege to re mind this House of the Herculean eff orts made by our beloved leader, Rajiv Gandhi,.... to meet each and every Dis trict Collector of this nation through five workshops to have a detailed dis cussion on the problems that confront the rural poor, particularly, the SCs and STs. The deliberations in those work shops culminated in bringing a Bill for the introduction of the Panchayati Raj System. Due to lack of co-operation from a few sections of the Opposition parties the Bill could not be passed then. But under the sagacious leader ship of our Prime Minister, Narasimha Raoji, our Government passed the Constitution (Seventry-third Amendment) Bill, 1992, which has provided for proportionate representation to the SCs and the STs and women have got 33.3 per cent reservation in all local bodies. A decisive step towards the empowerment of the poor for the governance of their own affairs has been taken by :his historic Act. Today we have stared seeing the fruits of this Act. This s one example of the continued commitment of the Congress and its Government to the welfare and the deve-opment of all weaker sections including he SCs and the STs.

Madam, the House is aware that the 0-Point Programme was formulated y our beloved leader. Shrimati Indira Gandhi, and it was revised and refor-nulated by our beloved former Primer Minister, Shri Rajiv Gandhi, when hey were in power as Prime Minister. while changes have taken place in ertain areas between the first 20-Point Programme and the second 20-Point Programme in so far as they relate to the welfare and the development of SCs and STs, there has been no change in the stand but only further intensification of the commitment to the cause-Close monitoring of the programmes related to the economic development of the SCs and the STs has been the hallmark of the 20-Point Programme. The hon. Members mentioned about the 20-Point Programme. It is being implemented. It is due to various mea. suras which have been continuously formulated and implemented by out party, our Government, of which a few have been stated by me that from the Sixth Five Year Plan period till date, we have been able to provide assistance to about 3.11 crores of Sc families and 1.40 crores of ST families for their socio-economic development so that they could cross the proverty line. This is very important that those who are below the poverty line should be uplifted. Under this 20-Point Programme we can achieve this result and it is a continuous programme which is going on. The Government will not rest till the SCs and the STs live on par with the other sections of the society in terms of equality, social and economic opportunities and economic standards. This is our commitment to the nation. Protective measures such as PCR and Prevention of Atrocities Act are deterrents to the vested interests. Economic development programmes provide an oppor-tunity to the SCs and the STs to gain economic clout and a relative sense of seciirlfy and ability to withstand the evil designs of vested interests. But more important of all this is removal of illiteracy and imparting education upto the highest levels of learning so that awareness of their rights and the ability to organise themselves for protection of their rights by such means as getting into Government services, etc., are created amongst the weaker sections. Madam, the educational development of the Scheduled Castes and the

Scheduled Tribes has been the prime concern of the Government from the very beginning. To quote a few instances, the scheme of post-matric scholarships benefited 114 Scheduled Caste students in 1945. By 1960-61 this figure rose to 48,848 covering both the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe students. Since then there has been a steady increase due to the earnest eff orts of the Government. In 1993-94, we covered 15,91,713 Scheduled Caste and Scheduled Tribe students. We expect to assist over 17 lakh students in 1994-95. This is our target. I share the concern of the hon. Members that the rates of scholarship under this scheme need revision. We are actively pursuing with the Planning Commission for revision of rates of scholarships under this scheme. We know that the prices ate increasing. We know about the difficulties which the Scheduled Caste students are facing. We are seriously pursuing it with the Planning Commission. We hope that we will quickly get the results.

In order that the Scheduled Castes and the Scheduled Tribe students coming from rural areas are assured of facilities for education, till date we have assisted the States and NGOs for construction and maintenance of 15,532 hostels throughout the country.

Under the scheme of book banks, one set of books for every two students be longing to SC and ST is given to facilitate them to pursue professional co urses. I am glad to inform the House that this scheme, which originally pro vided for the book bank facilities only to medical and engineering courses, has added agriculture and veterinary cour ses also from 1991-92. The response from the States has been very encour aging due to which, against Rs. 67.32 lakhs released under this scheme in 1992-93, we made an allocation of Rs. 5.60 crores in 1993-94 and Rs. 7.50 crores in the current year.

Apart from ensuring scholarship for SC and ST students at pre-matric and post-matric levels, we also have a scheme of national overseas scholarships and passage grants for SC and ST students for their higher studies abroad. The Congress Government in the Centre started the scheme in 1954-55. So far, 677 scholars have been selected for awards. Thirty awards are being given during every selection year. Under this scheme we encourage students to take a variety of courses in foreign universities such as printing technology, naval architecture, automation and robotics, reliability engineering, laser technology and paper technology and post-graduate studies leading to Ph.D and post-doctoral research/specialised training.

Hon. Members were kind enough to speak about Dr. Ambedkar Centenary Celebrations. They wanted that the scheme should be implemented as early as possible. Under the auspices of Dr. Ambedkar Centenary Celebrations Committee, among many schemes started to commemorate the memory of Dr. Ambedkar, the champion of all the underprivileged of this country, Dr. Baba Saheb Overseas Fellowship has been initiated by our Government. Under this fellowships in economics, sociology, international relations and Constitu-tional law are sanctioned every year. So far, eight Fellowships, that is, four each for 1992 and 1993, have already been sanctioned and advertisement for the Fellowship for 1994 has also been given to the press for inviting applications. A corpus fund of Rs. 2 crores has been provided for this scheme of Dr. Baba Saheb Overseas Fellowship.

Madam, as this House is aware, Dr. Baba Saheb Ambedkar, the architect, among the founding-fathers of the Indian Constitution, has rendered Yeoman service in awakening the oppressed people to fight for their legitimate rights. His writing that need to be given the

widest publicity by any Government or any nation, for that matter, which is interested in the development and welfares of the disadvantaged sections of their population. I am glad to inform this august House that we have taken up the project of translation and publication of Dr. Ambedkar's writings and speeches. A sum of Rs. 3.48 crores has already been released to Dr. Ambedkar Foundation for this work. The translation and publication of Baba Saheb's works and speeches in Hindi and other regional languages is in full swing. We have already brought out five volumes, both in Hindi and Tamil, five volumes in Gujarati and one volume in Punjabi. Some more volumes in Bengali and a few other languages are in print. Madam, in the last Session, I assured the Members of this august House that the writings and speeches of Dr. Baba Saheb Ambedkar would be translated and published in all the Indian languages. Our Government is doing its best to see to it that these publications are done well in time.

Madam, this Government believes that the fittest tribute to Dr. Baba Saheb is to pave the way for evolution of a society of a new order based on the principles of social justice. Dr. Baba Saheb's life has been a beacon-light to all those who aspire for emergence of an equitable society in this country. Therefore, this Government has given; full support to the project for production of a full-length feature film on the life of Dr Ambedkar We have released an amount of Rs. 4 crores to the National Film Development Corporation- for his purpose. Due to; the need to accommodate various view points including[1] hose of Dr. Smt. Savita Ambedkar the production of the film had to be delayed for some time. At the instance of Dr. Savita Ambedkar, we have engaged shri Shyam Benegal as the Chief Con-sulant of the film. The script of the film is almost ready and necessary arrangements are being made for com-' missioning the shooting of the film at the earliest.

Madam, this House is aware that we have provided eight Ambedkar Chairs in various Universities. In yet another befitting tribute to Dr. Baba Saheb Ambedkar, the Government has constituted Dr Ambedkar National Award carrying a prize value of Rs. 10 lakhs which will be finalised by a high-level Jury headed by the Vice-President of India. The Jury has already finalised its recommendations for the 1993 award while the award for 1994 is likely to be finalised shortly. Madam, the Government has also sanctioned a project for setting up Dr. Ambedkar National Public Library in New Delhi The sit© has already been allotted for construction of the Library building. The work is in progress.

I have so far dwelt at length with a few programmes related to Dr. Baba Saheb Ambedkar Centenary celebrations This is because any number of measures taken for the development of SCs/STs by any Government in India would be incomplete without reference to the seminal and grand work done by Dr Baba Saheb Ambedkar for the welfare of these people.

I am glad to recall the memory of the hon. Members who are present to the fact that it was during our governance that Rs. 10 crores were sanctioned Jn July, 1991 by our beloved Prime Minister for celebrating the centenary year of Dr. Ambedkar and for undertaking some of the special schemes Which I have mentioned earlier as a befitting tribute to the memory of Dr. Ambedkar. This is my proud privilege to salute the memory of this great son of our nation and- to inform this august House that as envisaged by Dr. Ambedkar, this Government continues to ensure adequate reservation in schools, colleges and professional courses for SC/ST students in our country

Madam, some of the Members who spoke on the Motion have expressed concern that the reservation in jobs provided for SCs/STs should continue to be protected. You are aware of the special recruitment drives undertaken by our Government to fill fill the-backlog vacancies for SCs/STs since 1989. Four such special' recruitment drives have been undertaken so far and the results have been very encouraging and are evident from the following figures.

In the first special recruitment drive in the year 1989, the reserved backlog vacancies were 58,554 out of which 50,475 appointments were made. In the second special recruitment drive in 1991, about 46,000 vacancies were the backlog vacancies and 29,414 appointments were made. In the third special recruitment drive, 35,000 backlog vacancies were identified and 18,000 appointments were made. In the recent fourth special re. cruiment drive, 30,259 backlog vacancies were identified and till June. 1994, 12.346 posts were offered for the SC/ ST members. This is a continuous process and we are pursuing with the State Governments and other Departments in the Central Government. We will go on doing this to ensure that there is no backlog and no reserved vacancy remains unfilled

Madam, Shri Madhavan and Shri Jogi have requested for protection of promo-toinal avenues to the SCs/STs and to ensure that the carry-forward vacancies meant for the SCs/STs are retained without any difficulty. In addition to this concern for the SCs/STs, Shri Madhavan has also expressed the opinion that the Congress Party does not grow from strength to strength in Tamil Nadu owing perhaps to the absence of a clear-cut pronouncement of its support to the weaker sections. T am thankful to Shri Madhavan for the kind sentiments he has expressed about our Party. But I would like to say that the Congress Pary has always been with the weaker sections and the downtrodden sections of the society, particularly the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. We never changed our ideology or out policy towards the poor. Whether we are in power or not, we are always with the poor. This is our policy, Madam. That is why the weaker sections of the country have always remained with the Congress Party and its leaders, from Mahatma Gandhiji to our beloved Prime Minister, Shri Narasimha Rao.

Madam, Mr. Madhavan mentioned that some practical difficulties arose out of the Manda, case judgement. Mr. Jogi and other Members informed about some difficulties with regard to reservation and promotion and also about the carry-forward problem. Madam we are very much aware of this problem and we are trying our level best to see to it that this problem; is sorted out quickly. Mr. Madhavan informed the House— and he was also very happy— about the Tamil Nadu Govt.'s Bill providing for 69 per cent reservation having been recommended by our beloved Prime Minister and our Government. I would inform the hon. Member as well as other Members that this itself shows our Prime Minister's commitment to the weaker sections, particularly the SCs and STs. We will do our best to see to it that this problem does not exist in the future. Madam, 1 would not go beyond this since the matter is already under the purview of the highest court of the land. So, the problems of the weaker sections, particularly the SCs, the STs and the OBCs, will be taken care of by our Government and there should not be any fear in this regard since already in this august House and in the other House my senior colleague, Shri Kesri, as well as myself have committed that all possible avenues would be examined and a solution can be found to. overcome these difficulties.

SHRI S. MADHAVAN (Tamil Nadu'): Sir. the Karnataka Order has already been stayed... *(Interruption)...*

In the next week, it is coming up.

SHRI K. V. THANGKA BALU: *Yes, is* that is why 1 mentioned that our commitment is very clear. The recommendation by our Government to the hon. President for giving his assent to this Bill shows that our commitment to these sections is very clear. So, we will try to protect the interests of the SCs, STs and the weaker sections at any cost. We will do sour best. Since the matter is already in the court, I do not want to go any further. But, our commitment remains and we will see to it that in all respects the commitment is honoured.

Madam, Mr. V. Kishore Chandra S. Deo and other Members also very pertinently demanded that there should be separate commissions for the SCs, and the STs. It is a very good idea. We already have a Commission for the SCs and the STs at the national level and also the corporations at the state level to protect the interests of the SCs and the STs. Now. they are demanding a separate commission and separate corporations for the welfare and development of the STs too. But, the SC and ST Commission at the national level, the TRIFED and all these institutions are taking care of the welfare of the SCs and the STs at present. If and when the need arises, we will do our best with regard to such a scheme. We will come back to this House, if the House approves this kind, of a proposal. If that need arises, certainly we will consider those. Madam. I do not want to take much time of the House and I want to see that the SC/ST community at no stage gets into any problem. With regard to backlog vacancies and with regard to the scavenging problem, I have already written to the Chief Minister of the various States requesting them to take appropriate measures to see that these problems are sorted out quickly and the SC/ST community in the country gets the due share and right by way of our prompt and excellent actions.

Madam, Shri Ajit Jogi and Shri Madhavan are taking very much interest in these areas which speak-ing the other day on Shri Naraya-nasamy's Bill as well as today, and yesterday they were also speaking and they were demanding that the convert Christians be given the status of SC. Madam, I have informed the august House in the last session that we have received a number of petitions and applications, over 10,000 applications, and we are conscious of the fact that we should do justice to that community. So, we consciously appointed a Committee under the Chairmanship of the secretary (Welfare and five other Members, who are going into this problem and once the Committee gives its finding and its report, certainly we will come hack to this House for a remedial measure. Since the Committee is working on, I do not want to elaborate much. Certainly we will come back to this

If

august House and take your valuable support to redeem that section. But the fact remains that already the SC converts are not deprived are not on the roads, on. the streets, but they are already included in the OBC list where they are getting their due recognition and support from OBC level.

SHRI S. MADHAVAN: At the State level.

SHRI K. V. THANGKA BALU: Step by step we will give. They are not left over.

Madam, the information is shared with this House, the achievements made by our Government and our commitment to the SC/ST is second to none and we continue to do our best to see that the SC/ST section, the majority people, particularly the weaker sections will certainly get their due share and we will do all our best to see that our brothers and sisters from the SC/ST section get their rightful share and play their role in the socio-economic system of our country, and the real social justice is given to them in the coming days, as we are giving now.

The hon'ble Members insisted on certain matters relating to their own States and constituencies. They will be taken care of and I will come back to them and report to them what action has been taken by us. With this, Madam, I thank all the hon'ble Members and particularly you. Thank you very much.

SHRI S. MADHAVAN The hon'ble Minister has threatened us with the voluminous particulars. I hope that he is executing those. Only one point. After 46 years of Independence the Congress Government is repeating that we are not able to fill at least 16 per cent. Still 4 per cent, everybody tells. Have we made any study to find out the reasons or appoint a Commitee at least in the future? Have you got a target to see that within one year, two years, you will come to this percentage?

SHRI K. V. THANGKA BALU: Madam, I have explained that when Mrs. Indira Gandhi was the Prime Minister, she started this. Afterwards, Shri Rajiv Gandhi, and now our beloved Prime Minister have taken up seriously this matter. And we have conducted four special recruitment drives. While giving the figures and identifying the number of posts and vacancies, we said that this is a continuous process, and in every special drive, we see a remarkable improvement. And, Madam this will go a long way because, side by side, educational avenues and educational opportunities are also given to them. And we have created a number of avenues for the betterment of their education. Once education is given and the people are ready to take-over, certainly their[1] problems will be solved. I assure the House that this is an on going programme, and we will see that in the quickest possible time, our brothers and sisters from the the SC and ST community will get their full share and 22i per cent reservation fulfilled.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Thank you, very much, Mr. Minister.

SHRI AJIT P. K. JOGI (Madhya Pradesh): Madam, one important point which I had mentioned and many other speakers had mentioned has not been answered. Although he has touched upon all other points, that aspect has been left unanswered.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE); You came late to the House

SHRI AJIT P. K. JOGI: I was listen- , ing to him in the Chamber. He has not touched upon the question of the Fifth Schedule and the Sixth Schedule in relation to the tribals. I had mentioned, Mr. Kishore Deo mentioned, and many other speakers also mentioned that the administration of the tribal areas through the Fifth Schedule has proved to be a total failure and totally ineffective. So, we requested you to change it to the Sixth Schedule. All the areas of the Fifth Schedule which are mostly in the mainland, in Madhya Pradesh, Orissa, Bihar, Maharashtra, and Andhra Pradesh should be converted to the Sixth Schedule. On this, the Minister has not expressed any opinion. I would request that he should say something on this.

SHRI K. V. THANGKA BALU: Madam, we all know about this problem. The hon. Member himself and many other Members also spoke to me. We are taking all this into account to see that a proper solution is found out quickly.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SA ROJ KHAPARDE): The hon. Minister told me yesterday and this morning also that he would hardly take half an hour to reply. But he has taken nearly ONE hour and he has covered all the points. And I am sure that all the Members who have participated in this are satisfied with the reply of the Minister.

Now, we will take up the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Bill, 1994. Shri Paban Singh Ghatowar.

THE PRENATAL DIANOSTIC TECHNIQUES (REGULATION AND PREVENTION OF MISUSE) BILL 1994.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): Madam, I beg to move;

"That the Bill to provide for the regulation of the use of pre-natal diagnostic techniques for the purpose of defecting genetic or metabolic disorders or chromosomal abnormalities or certain congenital malformations or sex-linked disorders and for the prevention of the misuse of such techniques for the purpose of pre-natal sex determination leading to female foeticide and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by the Lok sabha, be taken into consideration."

Madam, a Bill to prevent misuse of diagnostic techniques for determination of the sex of the foetus, leading to female foeticide, the Pre-Natal Ditgnostic Techniques (Regulation and Prevention of Mususe) Bill, was introduced in the Lok Sabha on 12th September, 1991. It was passed by the Lok Sabha on the 26th July, 1994.

Madam, recently-developed scientific techniques enable pre-natal determination of the sex of the foetus. These techniques, useful in detrmining genetic disorders and abnormalities of the foetus, are also misused. From time to time, women's organisations, sociologists and prominent members of the public have been urging the Governmnet to take steps to curb this abuse. A conference of medical experts, administrators, voluntary organisations and legal experts in